एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, उत्तरांचल पावर निगम

बनाम

एम/एस काशी विश्वनाथ स्टील लिमिटेड & ओआरएस

(2007 की सिविल अपील सं. 1106)

12 मई, 2010

(हरजीत सिंह बेदी और टी- एस- ठाकुर जे.- जे.)

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999- अधिसूचना दिनांक 07.08.2000-बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ दर 15-प्रतिशत अधिभार लगाना सीधे स्वतंत्र फीडर से बिजली वितरण पे- टैरिफ की व्याख्या के संबंध में संदेह- जारी परिपत्र में कहा गया है कि यदि उपभोक्ता स्वतंत्र फीडर से जुड़े हैं, 500 घंटे बिजली सप्लाई नहीं चाहिए, कोई सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है, बशर्ते उपभोक्ता कार्यकारी इंजिनियर को सूचित करे - आवेदक को छूट प्रदान करना - इस बीच अन्य कंपनी द्वारा अधिभार को चुनौती देने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय का मानना है कि जो उपभोक्ता स्वतंत्र फीडरों से बिजली ले रहे है वे प्रत्येक 10 घंटे की कमी पर बिल राशि पर 1 प्रतिशत छूट के हकदार है, यूपी विद्युत

निगम का विभाजन उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना - यूपीसी द्वारा छूट आदेश वापस लेना और संशोधित बिल जारी करना - चुनौती - रिट याचिका को अनुमति - उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील - धारण की अनुमति, यूपीसी ने उपभोक्ताओं से ऐसा कोई वादा नहीं किया है इसलिए वचनबंधन का सिद्धांत लागू नहीं - उक्त आदेश वापस लिया गया- अपील की दोबारा सुनवाई पर, धारित किया:- प्रकथनो की अनुपस्थिति में दावा था कि यूपी विद्युत निगम ने वादा किया था। विघुत निगम द्वारा बिना भुगतान के ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी और उसे दर्शाने के लिए किसी सामग्री के अभाव में कि आवेदक ने ऐसे किसी भी वादे, पर कार्य किया वचनबंधन लागू नहीं - उच्च न्यायालय का आदेश रद्द- सिद्धांत - वचन विबंध।

दिनांक 07.08.2000 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ दर तय की। जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रतिबंधित/पीक घंटो के दौरान आपूर्ति का विकल्प चुननें पर बिल राशि पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देना पडता था। उपभोक्ता जो 400/220/132 के उपकेन्द्रो से जिनमे स्वतंत्र फउर से बिजली निकलती है से बिजली प्राप्त कर रहे है उन्हे मासिक बिल पर 15 प्रतिशत अधिभार इस आधार पर की उन्हे न्यूनतम 500 घंटे प्रति माह बिजली मिलेगी देना होगा। उपभोक्ताओं को बिजली की कमी होने पर वे प्रत्येक 10 घंटे की कमी के लिए 1 प्रतिशत की दर से बिल राशि पर छूट

के हकदार थे। प्रतिवादी कंपनी ने उत्तर प्रदेश विघुत निगम के साथ विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया। वहाँ टैरिफ की व्याख्या के संबंध में शंका थी। एक अनुज्ञप्ति जारी की गई कि यदि उपभोक्ता जो स्वतंत्र फीडर से जुडे है, 500 घंटे की गांरटी अवधि के लिए बिजली आपूर्ति नहीं चाहते थे उनसे 15 प्रतिशत का कोई अधिभार नहीं लगाया वसुला जाएगा, बशर्ते वे कार्यकारी अभियंता को सूचित करें । प्रतिवादी ने कार्यकारी अभियंता को एक पत्र लिखा और कहा कि उन्हें 500 घंटे सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है और उन्हे 15 प्रतिशत अधिभार को भुगतान से छूट दी गई दिनांक 29.10.2000 से। इस दौरान, एलएमएल कंपनी ने उससे बिजली बिल पर वसूलीनय अधिभार को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। यह माना गया कि उपभोक्ता जो स्वतंत्र फीडरों से बिजली प्राप्त कर रहे थे उन्हे प्रत्येक 10 घंटे की कमी के लिए बिल पर 1 प्रतिशत की दर से छूट प्राप्त करने का हक है ।

इसके बाद यूपी विद्युत निगम का विभाजन कर उत्तराखंड विघुत निगम कॉर्पोरेशन (यूपीसी) स्थापित किया गया था। आदेश दिनांक 07.12.2001 द्वारा यू.पी.सी द्वारा प्रतिवादी को यूपी राज्य विघुत निगद द्वारा दिनांक 29.10.2000 से दी गई छूट वापस ले ली गई और एक संशोधित बिल जारी किया। प्रतिवादी ने उसको चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को यह कहते हुए रिट याचिका

स्वीकार कर ली कि कंपनी को प्रति माह 500 घंटे की बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। अतः वे 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। यू.पी. विद्युत निगम द्वारा जो छूट दी गई है वह अधिसूचना के अनुसार वैध थी इस लिए इस प्रकार निगम द्वारा उठाई गई मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, यूपीसी और एलएमएल कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील की जिसमें यह माना गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यु.पी. विद्युत निगम ने उपभोक्ताओ से वादा किया है और वही लागू करने योग्य था। यूपीसी के संबंध में यह माना कि उसने उपभोक्ताओ से ऐसा कोई वादा नहीं किया था इसलिए, वचनबंधन लागू नहीं होगा। नियामक आयोग के समक्ष स्वतंत्र फीडर से बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओ के आहरण पर अधिभार का मामला लम्बित था जिसे वापस ले लिया गया। यूपीसी की ओर से दायर 2007 के सीए नंबर 1106 को अनुमति दी गई। इसके बाद, प्रतिवादी ने 2007 के सीए नंबर 1106 में आईए इस न्यायालय के समक्ष दायर किया जिसमें इस आदेश का स्पष्टीकरण मांगा गया है यूपीसी ने उपभोक्ताओं से कोई वादा नहीं किया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि यु.पी. विद्युत निगम द्वारा दिया वचन उस पर व उसकी उत्तराधिकारी हित-यु.पी.सी. जो की उसके बाद अस्तित्व में आई पर बाध्यकारी होगा। आईए का निस्तारण कर दिया गया। यह निर्देशित किया गया कि निर्णय दिनांक 13.12.2007 सीए संख्या 1106 सन् 2007 को वापस लिया जाए।

इसलिए अपील. कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए धारित किया कि

1.1 उत्तरदाता के.वी.एस.एल. द्वारा दायर रिट याचिका नं. 942/2001 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि उत्तरदाता कम्पनी एक उपभोक्ता थी, जो 400/220/132 के.वी. सब स्टेशन से निकलने वाले एक स्वतंत्र फीडर से आपूर्ति प्राप्त कर रही थी। उत्तराखंड राज्य के दिनांक 09.11.2000 को अस्तित्व में आने से उस राज्य के लिए अप्रेल 2001 को एक नई विद्युत निगम की स्थापना की गई। उत्तरदाता कम्पनी का आगे मामला है कि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने मासिक मांग पर 15 प्रतिशत अधिभार व अप्रेल 2001 से अक्टुबर 2001 तक की अवधि को विद्युत प्रभार नहीं मांगे थे। अपीलार्थी को 07 दिसम्बर को जानकारी प्राप्त हुई की 8 सितम्बर को परिपत्र को रद्द कर दिया गया है व 24 अक्टुबर के पत्र निरस्त किए जा चुके है। यू.पी. विद्युत नियामक आयोग ने दिनांक 01.09.2000 से टेरिफ के संबंध में एक नई मंजूरी दी थी एवं उ.प्र. राज्य विद्युत निगम ने एक परिणामी अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2001 को जारी की थीजिसके अनुसार अब स्वतंत्र फीडरों से ऊर्जा की आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओ को 15 प्रतिशत अधिभार नही मिलेगा। पेरा 17 {1101-बी-ई,}

1.2. जबकी अपीलार्थी के अनुसार युपी. विद्युत निगम द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.09.2001 जो कि उपभोक्ताओ को विकल्प देता है, वह

वैध व कानून के अनुसार है। उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका में उस प्रभाव के संबंध में लेशमात्र बुदबुदाहट भी नहीं है कि या तो यु.पी. विद्युत निगम या उसकी उत्तराधिकारी ने यह वादा किया हो कि विद्युत आपूर्ति बिना अधिभार के होगी। इस तथ्य के बावजूद भी कि नियामक आयोग द्वारा जो अधिभार निर्धारित किया गया है वह उसमें स्वतंत्र फीडर द्वारा सीधे विद्युत पर उदग्रहित अधिभार को भी परिकल्पित करता है। रिट याचिका में इस संबंध में कोइ प्रकथन नही थे कि उत्तरदाता के.वी.एस.एल. ने उक्त वादे पर कार्य करते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया हो। के.वी.एस.एल. व विद्युत निगम के बीच हुए अनुबंध में भी स्पष्ट रूप से विद्युत आपूर्ति का वचन नही दिया गया था। इस बात के होते हुए भी की विद्युत आपूर्ति स्वतंत्र फीडर से की गई थी। इन प्रकथनों के अभाव में की यूपी. विद्युत निगम द्वारा बिना अधिभार के भुगतान के विद्युत वितरित की जाने का वचन दिया गया था व इस संबंध में कोई सामग्री के अभाव में जो यह दर्शित करती की उत्तरदाता के.वी.एस.एल. वास्तव में ऐसे किसी वादे पर कार्य कर चुकी थी, यह देखना मुश्किल है कि कैसे उक्त कम्पनी वादा जो अस्तित्व में नही था पर जोर दे सकती है। किसी पार्टी को वचनात्मक विबंध के सिद्धांत पर भरोसा करने से पहले उसे इसके संबंध में स्पष्ट कथन व पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लानी होगी। जिससे यह दर्शित हो सके की वास्तव में ऐसा वादा किया गया था। न तो इसमें ऐसा कोई प्रकथन है न ही कोई सामग्री वचनात्मक विबंध की दलील के समर्थन

में इस केस में दी गई है कि प्रतिवादी-केवीएसएल ने वास्तव में ऐसे वादे किसी पर कार्यवाई की थी, यह देखना मुश्किल है कि उक्त कंपनी कैसे गैर-मौजूद वादे पर जोर दे सकता है, इससे पहले कि कोई पार्टी प्रामिसरी एस्टोपेल के सिद्वांत पर भरोसा कर सके उसे विशिष्ट प्रकथन करना होगा व सामग्री को रिकॉर्ड पर लाना होगा कि वास्तव में उससे वादा किया गया था। इस मामले में कोई भी प्रकथन नहीं है न ही दलील वचनात्मक विबंध के समर्थन हेतु मौजूद है। पैरा 17, {1101- ई-एच-1102-ए-सी,}

1.3. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता-केवीएसएल के पक्ष में कोई मामला बनाना नह पाया। यह कहने के लिए एक बात है कि वचनात्मक विबंध की याचिका एक उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल अलग बात है कि वचनात्मक बिबंधन दलील हेतु रिकार्ड पर सामग्री उसके समर्थन हेतु आवश्यक है। अतः यह स्वीकार नही किया जा सकता है कि यु.पी. राज्य विद्युत निगम द्वारा उत्तरदाता के.वी.एस.एल. को वचन दिया गया हो जिसको सहीं बनाने के लिए परमादेश पारित किया जाए। उत्तरदाता के.वी.एस.एल. द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया। (पैरा 18, 19 और 20) (1102-एफ-जी)

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल, डब्लू.पी. 2001 की संख्या 936 मे पारित आदेश दिनांक 17.01.2007 से

शांति भूषण, नीरज शर्मा, विक्रांत सिंह बैस और सुमित कुमार शर्मा अपिलकर्ता की ओर से

के. वी. विश्वनाथन, अमित भंडारी, नेहा, अभिषेक कौशिक और विकास मेहता प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया।

टी.एस. ठाकुर, जे. 1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील एक आदेश से उत्पन्न होती है दिनांक 17 जनवरी, 2007 को उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित किया गया जिसके तहत प्रतिवादी मैसर्स काशी द्वारा रिट याचिका संख्या 936/2001 दायर की गई। विश्वनाथ स्टील्स लिमिटेड को अनुमति दे दी गई है और कार्यकारी अभियंता (विद्युत) वितरण खंड, जिला उधम सिंह नगर द्वारा पारित 7 दिसंबर, 2001 के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,1948 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के साथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया। 7 अगस्त, 2000 की एक अधिसूचना के अनुसार, आयोग ने 9 अगस्त, 2000 से

प्रभावी बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारित किया। बड़ी और भारी बिजली के लिए दर अनुसूची, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करती है कि जो उपभोक्ता प्रतिबंधित अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति का विकल्प चुनते हैं। पीक आवर्स में अनुसूची के आइटम-4ए के तहत प्रभार की दर पर उन्हें बिल की गई राशि पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार देना होगा। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि 400/220/132 केवी उप-स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों से बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को मांग और ऊर्जा शुल्क पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार देना होगा, बशर्ते कि इन उपभोक्ताओं को न्यूनतम 500 की सुनिश्चित बिजली आपूर्ति मिलेगी। एक महीने में 500 घंटे बिजली आपूर्ति के गारंटीकृत घंटों में कमी के मामले में, उपभोक्ता प्रभार की दर के तहत गणना की गई बिल राशि पर प्रत्येक 10 घंटे की कमी के लिए 1 प्रतिशत की छूट के हकदार थे। 7 अगस्त, 2000 की अधिसूचना का हिस्सा बनने वाली टैरिफ दर अनुसूची एचवी-2 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

> ‘‘.....**टिप्पणियाः** (ए) उन उपभोक्ताओं के संबंध में जो प्रतिबंधित/पीक घंटों के दौरान बिजली आपूर्ति का विकल्प चुनते हैं, उन पर उपरोक्त आइटम 4-ए के तहत ‘‘प्रभार की दर’’पर बिल की गई राशि पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा, यानी मांग शुल्क और ऊर्जा शुल्क लगाया जाएगा।

हालाँकि, 400/220/132 केवी उप-स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों पर बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं के संबंध में मांग और ऊर्जा शुल्क पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार इस शर्त के अधीन लिया जाएगा कि इन उपभोक्ताओं को एक सुनिश्चित आपूर्ति मिलेगी। एक महीने में कम से कम 500 घंटे। आपूर्ति के उपरोक्त गारंटीकृत घंटों में कमी की स्थिति में ''प्रभार की दर'' के तहत गणना की गई बिल राशि पर प्रत्येक 10 घंटे की कमी के लिए 1 प्रतिशत की दर से छूट स्वीकार्य होगी।

....."

3. प्रतिवादी काशी विश्वनाथ स्टील्स लिमिटेड (इसके बाद संक्षेप में 'केवीएसएल'के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है । 9 नवंबर, 1995 को इसने नारायण में फर्नेस और स्टील रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग (प्रोसेस) यूनिट के उत्पादन के लिए विद्युत ऊर्जा आईपी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (इस अपील में प्रतिवादी नंबर 4) के साथ एक समझौता किया था। नगर काशीपुर 33000 वोल्ट के घोषित दबाव और 4800

केवी एम्पीयर से अधिक की शक्ति पर तीन चरण प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। उक्त समझौते के बाद 28 मार्च, 2000 को कंपनी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक नया समझौता हुआ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि कंपनी समय-समय पर आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित दरों पर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भुगतान करेगी। समय-समय पर और समझौते के निष्पादन के समय लागू दर अनुसूची को आपूर्तिकर्ता के विवेक पर संशोधित किया जा सकता है। यूपी विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ता-कंपनी द्वारा प्राप्त आपूर्ति के लिए प्रभावी होने के साथ ही उक्त टैरिफ के संदर्भ में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है। हालाँकि, कुछ भ्रम आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न हुआ है, विशेष रूप से स्वतंत्र फीडरों से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर 15 प्रतिशत अधिभार लगाने के सबंध में। निगम ने 8 सितंबर, 2000 को एक परिपत्र जारी करके संशय को साफ करने का इरादा किया था, जिसके तहत संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ दिशानिर्देश देने और उसके सख्त अनुपालन की मांग की गई थी। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया है कि यदि

स्वतंत्र फीडरों से जुड़े उपभोक्ता 500 घंटे की गारंटी अवधि के लिए बिजली आपूर्ति नहीं चाहते हैं, तो 15 प्रतिशत का कोई अधिभार नहीं लगाया जा सकता है, बशर्ते वे कार्यकारी अभियंता को सूचित करें कि वे गारंटीकृत अवधि नहीं चाहते हैं। 500 घंटे तक आपूर्ति। परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

"2. (ए) दर अनुसूची एचवी-2 में 400, 220 और 132 केवी सब स्टेशनों से स्वतंत्र फीडर की 500 घंटे

बिजली आपूर्ति की गारंटी के परिणामस्वरूप 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। इस श्रेणी के

उपभोक्ताओं को प्रति माह 500 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 500 घंटे से कम बिजली आपूर्ति के कारण उनके बिजली बिल में प्रत्येक दस घंटे पर 1 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यदि इन स्वतंत्र फीडरों से जुड़े उपभोक्ता 500 घंटे बिजली आपूर्ति की गारंटी नहीं चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके बिल में 15 प्रतिशत अधिभार नहीं लगाया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकृत डाक से अधिशाषी अभियंता वितरण को सूचित करना होगा कि वे 500 घंटे बिजली आपूर्ति की गारंटी नहीं चाहते हैं। अधिशाषी अभियंता इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी

करेंगे। यदि इस श्रेणी का कोई उपभोक्ता कोई विकल्प नहीं देता है तो उसे 500 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा 15 प्रतिशत अधिभार लिया जाएगा। एसएसओ/जूनियरइंजीनियर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संबधित उपभोक्ता प्रतिबंधित अवधि के दौरान बिजली का उपयोग नहीं करेगा। यदि इस श्रेणी के उपभोक्ता प्रतिबंधित अवधि में भी बिजली का उपयोग करते हैं तो उनसे 15+15 = 30 प्रतिशत अधिभार लिया जाएगा।

4. उपरोक्त परिपत्र के अनुसार केवीएसएल ने निगम के कार्यकारी अभियंता को दो पत्र लिखे, एक दिनांक 6 अक्टूबर, 2000 और दूसरा दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 कि उन्हें विद्युत की 500 घंटे के लिए सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है और उन्हें 15 प्रतिशत की निर्धारित दर पर अधिभार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उक्त पत्रों की प्राप्ति पर कार्यकारी अभियंता ने 24 अक्टूबर, 2000 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें केवीएसएल को 15 प्रतिशत अधिभार के भुगतान से छूट दी गई, बशर्ते इकाई ज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों का अनुपालन करती हो।

5. इस बीच मेसर्स एलएमएल लिमिटेड, जिसने कानपुर में अपने कारखाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए यूपी राज्य विद्युत बोर्ड के

साथ एक समझौता किया था, कि कुल ऊर्जा बिल पर अधिभार को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2000 की रिट याचिका संख्या 40692 दायर की। उस याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह था कि वह न केवल पीक आवर प्रतिबंधों का पालन कर रहा था, बल्कि प्रतिबंधित घंटों के दौरान बिजली की खपत भी नहीं कर रहा था, इसलिए उससे मांगे जा रहे 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं था। दूसरी ओर, बिजली आपूर्ति कंपनी की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि याचिकाकर्ता को 400/220/132 केवीएस से निकलने वाले एक स्वतंत्र फीडर से बिजली की आपूर्ति की जा रही थी और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता यूपी विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टेरिफ पर 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह भी कहा गया था कि स्वतंत्र फीडर से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान पीक आवर्स प्रतिबंधों के पालन के अधीन नहीं था क्योंकि जो लोग शाम 6 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बिजली का उपभोग करते हैं उन्हें 1 प्रतिशत अधिभार की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता था ।

6. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ऊपर उल्लिखित रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था, जिसे पहले संदर्भित परिपत्र के रूप में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कहा जाए । यह

भी घोषित किया गया कि 400/220/132 केवीएस उप-स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में कोई प्रावधान नहीं था, जिससे उन्हें इस मामले में किसी भी विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता हो । एकमात्र लाभ यह हुआ कि जो उपभोक्ता ऐसे स्वतंत्र फीडरों से बिजली लेते थे, लेकिन जिन्हें एक महीने में न्यूनतम 500 घंटे की आपूर्ति नहीं मिलती थी, उन्हें निरंतर आपूर्ति विफल होने पर प्रत्येक 10 घंटे या उसके हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहाः

'आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ में किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता या भ्रम नहीं है। यह स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों पर विचार करता है। एक श्रेणी उन उपभोक्ताओं की है जो 400/220/132 केवी उप स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों पर बिजली आपूर्ति प्राप्त करते हैं। दोनों श्रेणियां पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग हैं और वे एक- दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। बॉक्स के नीचे उल्लिखित तीसरी शर्त स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक उपभोक्ता को अधिकार के रूप में प्रतिबंधित घंटों में बिजली की आपूर्ति नहीं मिल सकती जब तक वह आयोग को सूचित करते हुए यूपीपीसीएल से अनुमति न लें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई उपभोक्ता यूपीपीसीएल से अनुमति के लिए आवेदन नहीं करता है और ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे प्रतिबंधित घंटों में बिजली की आपूर्ति नहीं मिलेगी और उसे 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करने की

आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, जहाँ तक 400/220/132 केवी सब स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों पर बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं का सवाल है, उन्हें मांग और ऊर्जा शुल्क पर 15 प्रतिशत अधिभार देना होगा। 15 प्रतिशत सरचार्ज की यह वसूली केवल इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता को 400/220/132 केवी सब स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडर पर बिजली आपूर्ति मिल रही है और यह प्रतिबंधित घंटों में बिजली आपूर्ति पाने पर निर्भर नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इस आशय का कोई विकल्प अपनाने का प्रावधान नहीं है कि वह एक माह में 500 घंटे की सुनिश्चित आपूर्ति नहीं चाहता है। टैरिफ में उसे प्रदान किया जाने वाला एकमात्र लाभ यह है कि उसे एक महीने में न्यूनतम 500 घंटे की आपूर्ति का आश्वासन दिया जाता है और पूर्ति के गारंटीकृत घंटों में कमी के मामले में, 1 प्रतिशत 10 घंटे या उसके हिस्से की दर से छूट स्वीकार्य होगी । "प्रभार की दर" के अंतर्गत गणना की गई कुल राशि पर ।

7. उपरोक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए, यूपी पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में यूपी पावर कॉरपोरेशन के विभाजन पर स्थापित उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने 7 दिसंबर, 2001 को एक आदेश जारी कर दी गई छूट वापस ले ली। पूर्ववर्ती यूपी स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा केवीएसएल को निकासी आदेश निम्नलिखित शर्तों में है:-

"उपरोक्त संदर्भ में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के आलोक में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिनाक 08.09.2000 आदेश संख्या 1423/एचसी/यूपी सीएल/पांच-1974 + 204 सी /2000 को जारी करने की तिथि से ही रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, ज्ञापांक 3184 /वि. वि. खा. दिनांक 24.10.2000 को जारी करने की तिथि 24.10.2000 से रद्द किया जाता है। मेसर्स काशीविश्वनाथ के बिलों में संशोधन करने का आदेश दिया जाता है 8.9.2000 से संबंधित बिलिंग टैरिफ के अनुसार।"

8. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर केवीएसएल ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 936 दायर की, जिसमें टैरिफ की श्रेणी एचवी-2 सूची ।। में खंड प्ट दर- अनुसूची के नोट (ए) को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक ठहराया गया और रद्द करने की मांग की गई। केवीएसएल को संशोधित बिल जारी किया गया। उत्तरांचल निगम को उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा पर कोई अधिभार न लगाने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश की भी प्रार्थना की गई।

9. उपरोक्त याचिका को उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17 जनवरी, 2007 द्वारा अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने यह

विचार किया कि चूंकि याचिकाकर्ता केवीएसएल को एक महीने में 500 घंटे बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं था कि वह 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करें और यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई छूट वैध थी और 8 सितंबर, 2000 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार थी। निगम द्वारा उठाई गई मांग को तदनुसार रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन ने इस न्यायालय में 2007 की सिविल अपील संख्या 1106 दायर की, जिसे एलएमएल लिमिटेड द्वारा दायर 2002 की सिविल अपील संख्या 5789 के साथ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 2000 का 40692 को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित समान आदेशों के खिलाफ अन्य इकाइयों द्वारा दायर इसी तरह की अन्य अपीलों को भी इस न्यायालय द्वारा 13 दिसंबर, 2007 के एक सामान्य आदेश द्वारा सुना और निपटाया गया था। इस न्यायालय ने माना कि जहां तक पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं में से किसी से भी किया गया वादा लागू करने योग्य था। हालाँकि, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि उपभोक्ता से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 1106/2007 को उसी आधार पर अनुमति दी गई थी। जहां तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न

अपीलों और स्वतंत्र फीडरों से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर अधिभार के सवाल का सवाल है, उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर वापस लेने की अनुमति दी गई थी कि उक्त प्रश्न से जुड़े कई नियामक आयोग के समक्ष लंबित थे। अपीलकर्ताओं को आयोग के समक्ष उक्त मुद्दे पर आंदोलन करने की अनुमति दी गई। इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग निकाला जा सकता हैः-

> "50. इसी प्रकार उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन ने भी ऐसा कोई वादा नहीं किया है। उन मामलों में प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत भी लागू नहीं होगा।
>
> 51. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वतंत्र फीडर के प्रश्न पर आयोग के समक्ष कई मामले लंबित हैं, हमें उस पर कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उक्त प्रश्न पर आयोग के समक्ष कोई अपील लंबित है तो वह इस निर्णय के परिणाम की परवाह किए बिना उस पर स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा। इसलिए, हम उक्त प्रश्न पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अपीलकर्ताओं को आयोग के समक्ष उसी मुद्दे पर आंदोलन करने की अनुमति देते हैं।
>
> 52. इसलिए, हम इन अपीलों को केवल यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा किए गए वादे के संदर्भ में यहां उल्लिखित

सीमा तक ही अनुमति देते हैं और स्वतंत्र फीडर के प्रश्न पर अपील को हमारे द्वारा यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन वापस लेने की अनुमति देते हैं। 53. सिविल अपील संख्या 5789 सन् 2002 जो कि कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से संबंधित है, खारिज की जाती है।

54. उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन की ओर से दायर सिविल अपील संख्या 1106/2007 को स्वीकार किया जाता है।

55. हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

2007 की एसएलपी (सी) संख्या 6721

इस याचिका में शामिल एकमात्र मुद्दा स्वतंत्र फीडर का प्रश्न है और अपील आयोग के समक्ष लंबित है, इस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

एसडी/-

(एसबी सिन्हा)

एसडी/-

(हरजीत सिंह बेदी)"

10. 2007 की सिविल अपील संख्या 1106 में 2008 का 2 मुख्य रूप से इस आधार पर उपरोक्त आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग के लिए इस न्यायालय में दायर किया गया था कि पैरा 50 में की गई टिप्पणियाँ गलत हैं क्योंकि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन प्रासंगिक अवधि के दौरान अस्तित्व में नहीं था। आवेदकों के अनुसार किसी गैर- मौजूद इकाई द्वारा प्रतिवादी - केएसवीएल से ऐसा कोई वादा किए जाने का कोई सवाल ही नहीं था। आवेदक के अनुसार यह वादा यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, कॉरपोरेशन और उसके उत्तराधिकारी यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के हित में बाध्यकारी था जो 9 नवंबर, 2001 को अस्तित्व में आई थी। आगे कहा गया है कि मौजूदा मामले में विवाद सितंबर 2000 के बीच की अवधि के संबंध में था जब उपभोक्ता को अधिभार की छूट दी गई थी और 1 सितंबर, 2001 जब इसे बंद कर दिया गया था।

11. आवेदक का मामला वास्तव में यह था कि यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा उसे एक अभ्यावेदन/वादा किया गया था, जिसमें आवेदक के समान स्थित अन्य इकाइयों के लिए प्रवर्तनीय होने का वादा किया गया

था, जहां तक आवेदक की बात है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । आवेदक के अनुसार वादा उत्तराधिकारी-निगम, अथार्त उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन पर भी बाध्यकारी था और इस तथ्य से कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा कोई वादा नहीं किया गया था, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता क्योकि उक्त वादे से उत्पन्न होने वाला उत्तरदायित्व न हो। स्पष्ट और कानूनी रूप से लागू करने योग्य था।

12. उपरोक्त आवेदन पर माननीय हरजीत सिंह बेदी और माननीय आफताब आलम, जेजे की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और अंततः इसका निपटारा किया गया । निम्नलिखित दिशानिर्देशों के साथ विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि

" इस न्यायालय के दिनांक 13.12.2007 के फैसले को 2007 के सीए नंबर 1106 में वापस लिया जाए। हम तदनुसार आदेश देते हैं। 2007 के सीए नंबर 1106 की सुनवाई अपने गुणावगुण के आधार पर की जाएगी।

13. उपरोक्त आदेश के आलोक में ही इस अपील को नये सिरे से निस्तारण हेतु सुना गया है।

14. 1 सितंबर 2001 से अधिभार बंद करने का आदेश इस प्रकार हैः

"यूपीईआरसी ने दर्ज किया है कि 15 प्रतिशत अधिभार को बंद करना (i) 500 घंटे की गारंटीकृत आपूर्ति सुनिश्चित

करने के लिए तकनीकी और परिचालन कारणों से यूपीपीसीएल की ओर से असमर्थता/अक्षमता कारण है, (ii) यूपीपीसीएल के लिए भी यह मुश्किल था स्वतंत्र फीडर पर दो उपभोक्ताओं के बीच अंतर करना, जिन्होंने सुनिश्चित आपूर्ति मांगी और जिन्होंने नहीं, (iii) अधिकांश उपभोक्ताओं ने इस समझौते के खिलाफ विकल्प चुना और (iv) यदि योजना बंद कर दी गई तो वित्तीय निहितार्थ भी नगण्य था।

15. अपीलकर्ता श्री शांति भूषण के लिए अपील करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया कि यूपी राज्य निगम द्वारा नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ को संशोधित करने के लिए जारी किया गया परिपत्र पूरी तरह से बिना किसी अधिकार क्षेत्र के था और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उस तारीख से वापस लिया जा सकता है। जब वही जारी किया गया। चूँकि इस तरह की वापसी का आदेश निगम द्वारा दिया गया था, इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं थी, खासकर तब जब वापसी को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की स्पष्ट और आधिकारिक घोषणा द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि छूट का अनुदान टैरिफ को संशोधित करने के समान है, जिसे संशोधित करने के लिए निगम कानूनी रूप से सक्षम नहीं था । श्री शांति भूषण द्वारा आगे तर्क दिया गया कि यूपी राज्य निगम या उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा कोई वादा किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे किसी वादे के अभाव में और यह

दिखाने के लिए किसी सामग्री के अभाव में ि याचिकाकर्ता ने ऐसे किसी वादे पर काम किया था और अपनी स्थिति बदल दी थी, न्यायसंगत सिद्धांतों के आधार पर छूट वापस लेने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं था।

16. दूसरी ओर, प्रतिवादी - केवीएसएल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि यूपी पावर कॉर्पोरेशन द्वारा अन्य उपभोक्ताओं से किया गया एक वादा पाया गया था और चूंकि उक्त वादे को लागू करने योग्य माना गया है, इसलिए जहां तक प्रतिवादी - कंपनी का संबंध है, अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नहीं है । यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब यूपी निगम को अपने वादे से बंधा हुआ माना जाता है तो राज्य के पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड निगम के पास उक्त वादे को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह केवल धन की वसूली के उद्देश्य से इसे पूर्वव्यापी रूप से वापस नहीं ले सकता था, जिसे वसूलने का अधिकार यूपी राज्य विद्युत निगम को भी नहीं था ।

17. प्रतिवादी-केवीएसएल द्वारा दायर 2001 की रिट याचिका संख्या 942 में भौतिक तथ्य विवादित नहीं थे। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी-कंपनी 400/220/132 केवी सब स्टेशन से निकलने वाले एक स्वतंत्र फीडर से आपूर्ति प्राप्त करने वाली उपभोक्ता थी। यह भी विवाद में नहीं है कि 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में

आने के साथ ही 1 अप्रैल, 2001 को उक्त राज्य के लिए एक नया पावर कॉर्पोरेशन स्थापित किया गया था। प्रतिवादी - कंपनी का आगे का मामला यह है कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने ऐसा नहीं किया। अप्रैल 2001 से अक्टूबर 2001 की अवधि के लिए मासिक मांग और ऊर्जा शुल्क पर 15 प्रतिशत अधिभार लगाएं और 7 दिसंबर 2001 को ही आवेदक को सूचना मिली कि 8 सितंबर का परिपत्र रद्द कर दिया गया है और 24 अक्टूबर का पत्र रद्द कर दिया गया है। यह कि यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 1 सितंबर, 2000 के आदेश द्वारा एक नए टैरिफ को मंजूरी दे दी थी और यूपी राज्य पावर कॉर्पोरेशन ने 10 जुलाई, 2001 को एक परिणामी अधिसूचना जारी की थी, यह भी विवाद में नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना अब स्वतंत्र फीडरों से ऊर्जा की आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से 15 प्रतिशत अधिभार प्रावधान नहीं करती है। यह कहना पर्याप्त है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 8 सितंबर, 2001 को जारी आवेदक केवीएसएल परिपत्र के अनुसार उपभोक्ताओं को एक विकल्प देना वैध और कानून के अनुसार था, लेकिन दायर रिट याचिका में कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। प्रतिवादी- कंपनी का कहना है कि या तो यूपी पावर कॉरपोरेशन या उसके उत्तराधिकारी ने किसी भी समय कंपनी से कोई वादा किया था कि ऊर्जा की आपूर्ति बिना किसी अधिभार के होगी, इस तथ्य के बावजूद कि नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ की परिकल्पना की गई थी। स्वतंत्र फीडर से सीधे आपूर्ति की जाने वाली

बिजली पर अधिभार लगाना इस तरह रिट याचिका में इस आशय का कोई भी दावा नहीं है कि प्रतिवादी - केवीएसएल ने ऐसे किसी वादे पर अमल करते हुए अपनी स्थिति बदल दी है। इतना ही नहीं, पार्टियों, अर्थात् एक ओर केवीएसएल और दूसरी ओर पावर कॉर्पोरेशन, के बीच निष्पादित समझौतों में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोई स्पष्ट वादा नहीं था, भले ही आपूर्ति एक स्वतंत्र फीडर से की गई हो। इस आशय के एक भी प्रमाण के अभाव में कि यूपी राज्य विद्युत निगम द्वारा अधिभार के भुगतान के बिना ऊर्जा की आपूर्ति के संबंध में कोई वादा किया गया था और यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि प्रतिवादी - केवीएसएल ने वास्तव में ऐसे किसी पर कार्यवाई की थी यह देखना कठिन है कि उक्त कंपनी ऐसे किसी अस्तित्वहीन वादे को पूरा करने पर कैसे जोर दे सकती है। यह सामान्य बात है कि इससे पहले कि कोई पार्टी वचनबंधन के सिद्धांत पर भरोसा कर सके, उसे एक विशिष्ट बयान देना होगा और यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री रखनी होगी कि वास्तव में उससे वादा किया गया था। मौजूदा मामले में प्रॉमिसरी एस्टोपेल की दलील का समर्थन करने के लिए न तो कोई दावा है और न ही कोई सामग्री ।

18. यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को उस आधार पर प्रतिवादी - केवीएसएल के पक्ष में कोई मामला नहीं मिला, जिस पर अब वर्तमान अपील में आग्रह किया जा रहा है। यह कहना एक बात है कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की दलील उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह

कहना पूरी तरह से अलग बात है कि ऐसी दलील को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री द्वारा अच्छा बनाया गया है।

19. इसलिए, हमें इस तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यूपी राज्य विद्युत निगम द्वारा प्रतिवादी - केवीएसएल से कोई वादा किया गया था जो ऐसे किसी भी वादे को पूरा करने के लिए उसके पक्ष में किसी भी परमादेश के अनुदान को उचित ठहरा सकता है।

20. हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी - केवीएसएल द्वारा 50,000/- रुपये की लागत के साथ दायर 2001 की रिट याचिका संख्या 936 में उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17 जनवरी, 2007 के आदेश को रद्द कर देते हैं।

एन.जे.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिखा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।